कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री दि उ0 प्र0 टैक्स बार एसोसिएशन, 235, सीताराम, आजमगढ़।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**339 / 08**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अशोक कुमार अग्रवाल।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र संख्या-339 / 08 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से व्यापारी द्वारा निम्न 3 प्रश्न पूछे गये हैं :-

1. फर्म राम प्रसाद एण्ड सन्स जो व्यापार कर अधिनियम से ही पंजीकृत है तथा श्री राम प्रसाद के स्वामित्व में चल रही थी उसने मूल्य संवर्धित कर अधिनियम लागू होने की तिथी 01.01.2008 का अपने स्टाक की विवरणी प्रस्तुत करते हुए रु0 85,000.00 इनपुट टैक्स क्रेडिट चाही जो आपके मानक के अनुरूप है और मान्य भी हो जाती है। इसका लाभ नियमत: 1 जून 2008 के बाद पड़ने वाले टैक्स पिरियड के विवरणी के साथ छ: समान किश्तों में प्राप्त होना है।

किन्तु दुर्भाग्यवश फर्म स्वामी का स्वर्गवास 20 मार्च 2008 को हो जाता है। 21 मार्च 2008 से उसके एकलौते पुत्र श्याम प्रसाद द्वारा व्यवसाय का दायित्व सभाँला जाता है और उसी व्यवसाय को समस्त लेनदारी-देनदारी सहित एवं स्टाक लेकर आगे बढ़ाया जाता है किन्तु धारा 75 एवं नियम 35 की व्यवस्था के अनुसार उसे वही पंजीयन जारी रखने का अधिकार नहीं है। ऐसे में वह नया पंजीयन धारा 17 के अधीन प्राप्त करता है तथा उस स्टाक की बिक्री करते हुए नियमित रूप से देय कर भी अदा करता है।

उक्त दशा में दिनांक 01.01.2008 के स्टाक पर प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रु0 85,000.00 है का लाभ राम प्रसाद के उत्तराधिकारी को प्राप्त होता रहेगा या उस राशि का भुगतान रिफण्ड के रूप में उत्तराधिकारी को किया जायेगा।

2. फर्म राम प्रसाद एण्ड सन्स जो श्री राम प्रसाद के स्वामित्व में व्यापार की अवधि से पंजीकत रही है और दिनांक 01.01.08 की स्टाक विवरणी प्रस्तुत करते हुये रु0 25,000.00 था इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहा गया जो नियमानुकूल होने के कारण ग्राह भी होना है।

किन्तु 1 अप्रैल 08 की परिवारिक सलह अथवा अपनी वृद्धावस्था के कारण फर्म स्वामी राम प्रसाद द्वारा समस्त व्यवसाय अपने एकलौते पुत्र श्याम प्रसाद को अन्तरित कर दिया जाता है जिसमें स्टाक, लेनदारी, देनदारी सभी सम्मलित है ऐसी दशा में श्याम प्रसाद को नया पंजीयन करना होगा और कराया है।

उक्त दशा में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कब और किसको किस रूप में प्राप्त होगा। ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि प्राप्त समस्त स्टाक को उसी रूप में बिक्री करते हुए श्याम प्रसाद द्वारा नियमित रूप से कर की अदायगी नियमित की जा रही है।

3. फर्म राम प्रसाद एण्ड सन्स जो राम प्रसाद के स्वामित्व में व्यापार कर अधिनियम से पंजीकृत है उसने 01.01.08 का स्टाक की घोषणा नियमानुसार करते हुए रु0 85,000.00 का इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहा और वह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मान्य भी रहा है जिसे नियमानसुार 1 जून 08 के बाद प्रारम्भ होने वाले टैक्स पिरियड में छ: किश्तों में प्राप्त होना है।

किन्तु दुर्भाग्यवश किन्हीं कारण से फर्म अपने समस्त स्टाक की बिक्री करने के उपरान्त 30.05.08 को बन्द हो जाती है गत वर्ष उसका आर्वत 25 लाख से कम तथा उसे त्रैमासिक विवरणी देने का दायित्व रहा है ऐसे में अन्तिम विवरणी भी प्रथम त्रैमास की दी जायेगी।

उक्त दशा में 01.01.08 के स्टाक का इनपुट टैक्स क्रेडिट कब और किस रूप में प्राप्त होगा।

2. फर्म की ओर से श्री अशोक कुमार अग्रवाल उपस्थित हुए। व्यापारी द्वारा उपरोक्त तीनों प्रश्नों के माध्यम से दिनांक 01.01.08 के स्टाक का इनपुट टैक्स क्रेडिट कब और किस रूप में प्राप्त होगा, की जानकारी चाही गई है।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन द्वारा अपने पत्रांक-2259, दिनांक 19.9.08 द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा पूछे गये तीनों प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-59 (1) (a) (b) (c) (d) (e) के अन्तर्गत नहीं आता है। अत: धारा-59 के अन्तर्गत व्यापारी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 04, दिसम्बर, 2009

ह0 / 4.12.08

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4/12/08

प्रमाणित प्रतिलिपि